

लोक शिक्षण संचालनालय  
मध्यप्रदेश

कमांक/सी-2/अं.जि.स्था./24/07/1960

भोपाल,दिनांक: 23-6-07

आदेश

शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति वर्ष 2007-08 के तहत लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा निम्नांकित कर्मचारियों के स्वेच्छा के आधार पर अन्तर जिला स्थानांतरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख जिले में किए जाते हैं :-

स.क.	कर्मचारी का नाम/पद/पदस्थापना	वर्तमान पदस्थापना का जिला	नवीन पदस्थापना का जिला
1	2	3	4
1	श्रीमती विमलेश श्रीवास्तव, सहा.शि.शा.क.मा.वि.लहार	भिण्ड	ग्वालियर
2.	श्रीमती शोभा मर्सकोले, सहा.शि.शा.हाई.खलेसर	उमरिया	जबलपुर
3	श्री मनोहरलाल श्रीवास्तव, सहा.शि.एमआईएस केन्द्र शाजापुर	शाजापुर	इन्दौर
4	श्रीमती शांति नायडू, शि.शा.मा.शा.पिपरिया	जबलपुर	छिन्दवाड़ा
5	श्रीमती विजया चार्ल्स,सहा.शि.शा.प्रा.शा.सिवनी टोला	जबलपुर	सागर
6	श्री अनूप कुमार शर्मा, सहा.शि.शा.प्रा.वि.रामाजी का पुरा लश्कर ग्वालियर	ग्वालियर	शिवपुरी
7	श्री रमेश चन्द्र द्विवेदी,प्र.अ.शा.मा.वि.बड़ागाँव धसान	टीकमगढ़	ग्वालियर
8	श्रीमती सीमा शर्मा, सहा.शि.शा.प्रा.वि.बरबाल	शाजापुर	हरदा
9	श्री रसक लाल दाहिया,प्र.अ.शा.मा.शा.देवरी मंगेला	कटनी	जबलपुर
10	श्री गिरीश कुमार द्विवेदी, सहा.शि.शा.पूर्व मा.शा.खंदवारा	कटनी	सतना
11	श्री अरुण कुमार मिश्रा, सहा.शि.शा.प्रा.शा.मुखास ढीमरखेड़ा	कटनी	सतना
12	श्री महेशचन्द्र सोनी,प्र.अ.शा.मा.शा.देवरान बड़ामल्हरा	छतरपुर	कटनी
13	श्रीमती प्रभा चिटनीस,सहा.शि.शा.मा.वि.नौगाँव रेवास	मंदसौर	इन्दौर
14	श्रीमती सुधा जैन,सहा.शि.शा.उ.मा.वि.प्रा.शा.राजेन्द्र नगर गंज बासौदा	विदिशा	इन्दौर
15	श्री बैजनाथ बाघमारे,सहा.शि.शा.प्रा.शा.गंगापुर प्रतापपट्टन	बैतूल	भोपाल (शा.शि. महाविद्या.भोपाल)
16	श्री प्रमोदकुमार बावसकर, सहा.शि.शा.मा.वि.हुजूरगंज इन्दौर	इन्दौर	भोपाल
17	श्री हरिदयाल गोस्वामी,शि.शा.उत्कृष्ट उ.मा.वि.पलेरा	टीकमगढ़	सागर
18	श्रीमती सरोज उपाध्याय, शा.प्रा.वि.सिंगवासा	गुना	ग्वालियर

*(Signature)*

1	2	3	4
19	श्रीमती किरणलता चौदहा, सहा.शि.शा.प्रा.शा.नदीपार	कटनी	भोपाल
20	डॉ.रामकुमार श्रीवास्तव, सहा.शि.शा.प्रा.वि.उटरा	दतिया	उज्जैन
21	श्री मुहम्मद मारुफ,व्या.निर्देशक, शा.कस्तूरबा क.उमावि नार्थ टी.टी.नगर भोपाल	भोपाल	सागर
22	श्री डी.एस.राजपूत, शि.शा.उ.मा.वि.दोराहा	सीहोर	भोपाल
23	श्रीमती प्रतिभा तिवारी,सहा.शि.शा.प्रा.वि.नयापुरा	रतलाम	उज्जैन
24	श्री सलामत खॉन,व्याया.शि.शा.उ.मा.वि.टर्करलॉ श्योपुर	श्योपुर	शिवपुरी
25	श्रीमती गीता जाटव, सहा.शि.शा.मा.वि.कुरावर	राजगढ़	भोपाल
26	श्रीमती अलविना टोप्पो, प्र.अ.शा.मा.वि.पीलूखेड़ी	राजगढ़	भोपाल
27	श्री राजेन्द्र कुमार मिश्रा,प्र.अ.शा.मा.वि.पेंच देहरिया	शाजापुर	इन्दौर
28	श्री सन्तकुमार छीपा,सहा.शि.विज्ञान,शा.क.हा.उमरिया पान	कटनी	जबलपुर
29	श्री अखिलेश कुमार चौदहा,सहा.शि.शा.उ.मा.वि.घुघरा रीठी	कटनी	भोपाल
30	श्रीमती हेमलता दास,सहा.शि.शा.पूर्व मा.वि.समन्ना	दमोह	सागर
31	श्री विमल कुमार कुशवाह, सहा.शि.शा.प्रा.वि.बरुखेड़ा	नीमच	मंदसौर
32	श्री गजेन्द्र कुमार होल्कर, शि.शा.मा.वि.पाण्डुतलाब बागली	देवास	इन्दौर
33	श्री अजीत पाल सिंह गिल, सहा.शि.शा.राजाभोज उमावि भोपाल	भोपाल	इन्दौर
34	श्री अरुण कुमार शर्मा, सहा.शि.शा.प्रा.वि.बंजारे का पुरा (बिरखड़ी) खनेता	भिण्ड	ग्वालियर
35	श्रीमती प्रतिभा भटनागर, सहा.शि.शा.क.प्रा.वि.बालगढ़	देवास	उज्जैन
36	श्री रामेश्वर दयाल नामदेव, सहा.शि.शा.क.प्रा.शा.उलझावन	सीहोर	इन्दौर
37	श्रीमती किरण जैन,सहा.शि.शा.क.प्रा.शा.पथरिया	दमोह	सागर
38	श्री प्रकाशचन्द्र जैन,सहा.शि.शा.बा.प्रा.शा.पथरिया	दमोह	सागर

2/ उक्त जिला संवर्गीय स्थानांतरित कर्मचारियों की वर्तमान जिले की वरिष्ठता का लाभ नवीन जिले के लिए मान्य नहीं होगा । नवीन जिले में इनकी वरिष्ठता उनके संस्था में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से निर्धारित होगी ।

3/ उक्त सभी स्थानांतरण स्वेच्छा से होने के कारण इन्हें किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ता की पात्रता नहीं होगी ।

4/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे ।

5/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है। पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्य प्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें।


6/ जिला शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रमुख स्थानांतरित कर्मचारी को नवीन जिले द्वारा पदस्थापना आदेश जारी करने के उपरांत ही कार्यमुक्त करेंगे। साथ ही संबंधित कर्मचारी का भी यह दायित्व होगा कि नवीन जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी पदस्थापना आदेश प्राप्त होने पर ही वह कार्यमुक्त होगा।

7/ स्थानांतरित कर्मचारी की पदस्थापना जिले में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा एक सप्ताह में की जाए। पदस्थापना उपरांत कर्मचारी को तत्काल कार्यमुक्त किया जाए। कार्यमुक्ती उपरांत कर्मचारी को नवीन स्थान में एक सप्ताह की समयावधि में उपस्थित होना होगा। कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उसे अवकाश की पात्रता नहीं होगी।

यह आदेश नियमानुसार प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर जारी किया जा रहा है।

“आयुक्त द्वारा अनुमोदित”

पृ.कमांक/सी-2/अं.जि.स्था./24/07/1961  
प्रतिलिपि:-


  
सहायक संचालक  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश  
भोपाल, दिनांक: 23-6-07

1. निज सचिव, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल।
2. निज सचिव, मान. राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
3. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
4. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र मध्यप्रदेश भोपाल।
5. कलेक्टर, जिला - भिण्ड, ग्वालियर, उमरिया, जबलपुर, शाजापुर, इन्दौर, छिन्दवाड़ा, सागर, शिवपुरी, टीकमगढ़, हरदा, कटनी, सतना, छतरपुर, मंदसौर, विदिशा, बैतूल, भोपाल, गुना, दतिया, उज्जैन, सीहोर, रतलाम, श्योपुर, राजगढ़ दमोह, नीमच एवं देवास म.प्र.।

6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला- भिण्ड, ग्वालियर, उमरिया, जबलपुर, शाजापुर, इन्दौर, छिन्दवाड़ा, सागर, शिवपुरी, टीकमगढ़, हरदा, कटनी, सतना, छतरपुर, मंदसौर, विदिशा, बैतूल, भोपाल, गुना, दतिया, उज्जैन, सीहोर, रतलाम, श्योपुर, राजगढ़ दमोह, नीमच एवं देवास म.प्र. ।
7. प्राचार्य, शासकीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला- भिण्ड, ग्वालियर, उमरिया, जबलपुर, शाजापुर, इन्दौर, छिन्दवाड़ा, सागर, शिवपुरी, टीकमगढ़, हरदा, कटनी, सतना, छतरपुर, मंदसौर, विदिशा, बैतूल, भोपाल, गुना, दतिया, उज्जैन, सीहोर, रतलाम, श्योपुर, राजगढ़ दमोह, नीमच एवं देवास म.प्र. ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।

9. संबंधित श्री / श्रीमती / सुश्री.....  
..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।

  
सहायक संचालक  
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश